राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

तृतीय तल, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर रेवेन्यु रिसर्च एण्ड एनालिटिक्स फेसेलिटेशन, अरण्य भवन के पास, झालाना–डूंगरी, जयपुर–302004

ई–मेल : dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

मदिरालय सीकर, बून्दी, बारां, सिरोही, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, भीलवाडा एवं मण्डौर पर मीठा पानी आपूर्ति हेतु

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये

द्वि–भाग निविदा

भाग– प्रथम

तकनीकी निविदा

निविदा क्रमांक– आरएसजीएसएम/मुख्यालय/मीठा पानी/दर संविदा/2023–24/54 दिनांक 06.02.2024

प्री–बिड बैठक	:	दिनांक 07.02.2024 को 12.30 बजे तक
बिड सबमिशन प्रारम्भ		दिनांक 08.02.2024 को दोपहर 03.00 बजे से
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 14.02.2024 को दोपहर 05.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 14.02.2024 को सायं 05.00 बजे तक
तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक व समय व स्थान	:	दिनांक 15.02.2024 को दोपहर 03.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर
वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय	:	वित्तीय निविदा खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से दी जावेगी
निविदा प्रपत्र मूल्य	:	रूपये 2360 मात्र
निविदा प्रोसेसिंग मूल्य	:	रूपये 1500 मात्र

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
तृतीय तल, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर रेवेन्यु रिसर्च एण्ड एनालिटिक्स फेसेलिटेशन, अरण्य भवन के पास, झालाना–डूंगरी, जयपुर–302004

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा कमांक– आरएसजीएसएम/मुख्यालय/मीठा पानी/दर संविदा/2023–24/54 दिनांक 06.02.2024

1 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन विभिन्न मदिरालयों पर मीठा पानी आपूर्ति हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विवरण इस प्रकार है–

कार्य	मदिरालय		अनुमानित व्यय (रूपये में)	अमानत राशि (अनुमानित व्यय की 2 प्रतिशत)	दर वैधता अवधि	दिनांक /समय जिस तक निविदा अपलोड करनी है	निविदा खोलने की तिथि एवं समय व स्थान
विभिन्न मदिरालयों **पर मीठा पानी आपूर्ति** के लिये निविदा	1	**सीकर**	350000	7000	90 दिवस	दिनांक 14.02.2024 सायंकाल 6.00 बजे तक	दिनांक 15.02.2024 दोपहर 03. 00 बजे मुख्यालय पर
	2	**मण्डौर**	200000	4000			
	3	**कोटा**	330000	6600			
	4	**बून्दी**	350000	7000			
	5	**सवाईमाधोपुर**	210000	4200			
	6	**उदयपुर**	900000	18000			
	7	**बारां**	850000	17000			
	8	**सिरोही**	700000	14000			
	9	**भरतपुर**	350000	7000			
	10	**भीलवाडा**	900000	18000			
	कुल		5140000				

1. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक अथवा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी,पुत्र,पुत्री (दत्तक पुत्र, पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे। यदि संस्थान में कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा बिड में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा।
2. बिड प्रपत्र वेबसाइट www.rajexcise.gov.in or www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

4. ई–बिड प्रस्तुतीकरण के लिये बिडर्स हेतु निर्देशः–

क बिड में भाग लेने वाले बिडर को इन्टरनेट वेब साइट eproc.rajasthan.gov.inपर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC, Type-III),इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट– 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक बिड में साइन करने हेतु काम आयेगा। बिडर उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सी. सी. ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिड दाताओं के पास E-Procurement Portal के लिए पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

ख बिडर को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

ग इलेक्टॉनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडर यह सुनिश्चित कर लेवे कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी हैं।

घ कोई भी बिड इलेक्ट्रोनिकी फार्मेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आरएसजीएसएम की नहीं होगी।

ङ बिड प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

च ऑन लाईन बिड भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप बिड प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए आरएसजीएसएम की जिम्मेदारी नहीं होगी।

छ बिडर, यदि आवश्यक हो तो, ऑनलाईन बिड सबमिशन के प्रशिक्षण हेतु सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, प्रथम तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के ई–प्रोक्यरमेन्ट सेल हेल्पडेस्क न. 0141–4022688, ई–मेलः eproc@rajasthan.gov.in वेबसाईटः www.eproc.rajasthan.gov.in से सम्पक्र कर सकते है।

ज बिड में सभी संशोधन बिड जारी करने के उपरान्त eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ही जारी किये जावेंगे। बिडर द्वारा वेब (ई–मेल) पर संशोधनों/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

झ बिड शुल्क रू. 2360 मय जीएसटी (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में), बिड प्रोसेसिंग शुल्क रू. 1000, बोली प्रतिभूति राशि (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में) के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ऑनलाईन जमा विवरणी एवं एनेक्सर 'बी' (रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) ऑफलाईन बन्द लिफाफे में बिड प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि एवं समय तक क्रय अनुभाग, आरएसजीएसमएम, अरण्य भवन के पास, झालाना–डूंगरी, जयपुर–302004 में जमा कराना होगा। अन्य कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जावेगें अथवा ऑनलाईन जमा कराए जाने की स्थिति में ई–मेल अथवा अन्य माध्यम से अवगत कराना होगा। बिना बिड शुल्क, बिड प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के बिड़ स्वीकार नहीं होगी।

ञ बिडर यह भी सुनिश्चित करे कि बिड संबंधी एवं चैक–लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं बिड प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद कर ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करें। ऐसा करने में असफल पाये जाने पर बिडर को तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

Dy. General Manager (Purchase)

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

ई–बिड आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक– आरएसजीएसएम/मुख्यालय/मीठा पानी/दर संविदा/2023–24/54 दिनांक 06.02.2024

Bids for supply of sweet water at various reduction centers are invited from interested bidders up to 05.00 PM on 15-02-2024. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in) of the state; http:// excise.rajasthan.gov.in/, departmental website.

UBN:

उपमहाप्रबन्धक (क्रय)

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

परिचय	
बिड क्रमांक	आरएसजीएसएम / मुख्यालय / मीठा पानी / दर संविदा / 2023–24 / 54
उपापन संस्थान	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
उपापनीय सेवा का विवरण	मदिरालय सीकर, मण्डौर, कोटा, बून्दी, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, बारां, सिरोही, भीलवाडा एवं भरतपुर पर मीठा पानी आपूर्ति
बिड प्रपत्र का मूल्य	रू. 2360 मय जीएसटी का RSGSM Ltd. (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक / डीडी / ऑनलाईन व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है।
बिड प्रोसेसिंग का मूल्य	रू. 1000 का MD RISL (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक / डीडी / ऑनलाईन जमा (संस्थान खाते में) व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है।
बिड जिसको प्रस्तुत करनी है, अथवा कोई स्पष्टिकरण वाछिंत है	उप–महाप्रबंधक (क्रय) , तृतीय तल, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर रेवेन्यु रिसर्च एण्ड एनालिटिक्स फेसेलिटेशन, अरण्य भवन के पास, झालाना–डूंगरी, जयपुर–302004 फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स : 0141–2740676 ई–मेल : dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in
प्री बिड बैठक	हाँ, 07.02.2024 दोपहर 12.30 बजे
बिड की भाषा	हिन्दी व अंग्रेजी
बिडर को बिड के साथ संलग्न करना है–	बिड की शर्तों एवं चैक लिस्ट में उल्लेखितानुसार
दरों की वैधता अवधि	तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि से 90 दिवस
अधिकृत करना	बिडदाता के लैटर हैड पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी या अधिकृति पत्र
बिड प्रपत्र को डाउनलोड करना	rajexcise.gov.in or sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
बिड डाउनलोड व अपलोड करने का अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 14.02.2024 को दोपहर 05.00 बजे तक वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in
तकनिकी बिड खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 15.02.2024 दोपहर 03.00 बजे eproc.rajasthan.gov.in द्वारा मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर।
वित्तीय बिड डाउनलोड करने की दिनांक व समय	ई–प्रॉक द्वारा स्वतः मैसेज प्रणाली के माध्यम से दी जावेगी
अवधि जिसमें कार्य सम्पादन राशि जमा कराकर अनुबंध का निष्पादन किया जाना है	स्वीकृति पत्र जारी करने के 15 दिवस में करना होगा, अन्यथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता	First: Joint Secretary Finance (Excise) Second: Secretary (Budget) Government of Rajasthan

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

मैं/हम .... (व्यक्ति/फर्म/कंपनी आदि) बहैसियत .... (पदनाम/प्रास्थिति) द्वारा समस्त बिड दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं इसके समस्त प्रावधानों व शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर कर दिये गये हैं। मेरी/हमारी जानकारी निम्नानुसार है–

व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम ——————————————————

——————————————————

——————————————————

कार्यालय पता ——————————————————

——————————————————

——————————————————

पत्र व्यवहार का पता ——————————————————

——————————————————

——————————————————

दूरभाष संख्या कार्यालय ——————————————————

निवास ——————————————————

पता ——————————————————

फैक्स ——————————————————

ई–मेल ——————————————————

मोबाईल ——————————————————

वैधानिक विवरणः–

आयकर विभाग पंजीयन(पैन) ——————————————————

माल एवं सेवा कर पंजीयन क्रमांक (GSTN) ——————————————————

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

बोली प्रतिभूति राशि मय मदिरालय का विवरण

डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या/ऑनलाइन जमा एवं दिनांक ----------------------------

डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक राशि /ऑनलाइन जमा एवं दिनांक ----------------------------

बिडर के बैंक खाते का विवरण

बिडर का बैंक का नाम एवं शाखा ----------------------------

बिडर का बैंक खाता संख्या ----------------------------

बिडर का बैंक आरटीजीएस न0 ----------------------------

हस्ताक्षर ----------------------------

नाम व पदनाम हस्ताक्षरकर्ता ----------------------------

नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

<u>राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड</u>

वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभिन्न मदिरालयों पर
<u>मीठा पानी आपूर्ति हेतु निविदा के संबंध में विशेष शर्तें</u>

टिप्पणी–लोक उपापन के संबंध में '' राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 '' एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 प्रभावशील हैं एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है। अतः समस्त बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है 8 कवे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इन नियमों से भलीभांति परिचित हो लेवे। यदि लोक उपापन अधिनियम , नियम तथा इस बोली दस्तावेज के किन्हीं प्रावधानों के बीच असाम्यता हो तो अधिनियम , नियम में उल्लेखित प्रावधान तथा आशय ही मान्य/प्रभावी रहेगा।

1. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2023–24 मदिरालयों पर मीठा पानी आपूर्ति हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/ कंपनी से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।
2. कार्य का विवरण :– संबंधित मदिरालय पर पानी की सप्लाई करनी होगी, जो कि मदिरा निर्माण हेतु उपयुक्त होना आवश्यक है अन्यथा सप्लाई स्वीकार नहीं की जावेगी तथा निविदा/कार्य आदेश को निरस्त किया जा सकेगा।
3. प्रभारी, मदिरालय द्वारा जितनी मात्रा में पानी की मांग की जावे उसकी व्यवस्था दो घंटे में करनी होगी तथा प्रतिदिन प्रातः निविदादाता को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को मदिरालय पर भिजवाकर पानी की मांग ज्ञात कर पानी की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी।
4. सफल निविदादाता द्वारा समय पर पानी के टैंकर उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर संस्थान द्वारा बाजार से पानी मंगवाया जा सकेगा तथा परिवहन राशि सहित अधिक भुगतान राशि की वसूली सफल निविदादाता के भुगतान बिलों से की जावेगी।
5. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ एनेक्सर ''एफ'' में वर्णितानुसार बिड सिक्योरिटी (बोली प्रतिभूति राशि) की राशि बैंकर चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो ''राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड'' के नाम देय हो जमा कराया जाना है। सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमानित राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन सिक्योरिटी (जमानत राशि) के रूप में जमा करानी होगी। इस राशि में निविदा के साथ जमा करायी गयी बिड सिक्योरिटी की राशि समायोजित की जा सकेगी तथा शेष राशि और जमा करानी होगी। उक्त समस्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा सफलतापूर्वक कार्य सम्पादित हो जाने के पश्चात 60 दिवस में लौटायी जायेगी।
6. एक वर्ष की अवधि में संबंधित मदिरालय हेतु मीठा पानी पर होने वाले अनुमानित व्यय का आंकलन निम्नानुसार किया गया है:

क्र.सं.	मदिरालय का नाम	अनुमानित व्यय लाख रू. में	2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि
1	**सीकर**	350000	7000
2	**मण्डौर**	200000	4000
3	**कोटा**	330000	6600
4	**बून्दी**	350000	7000
5	**सवाईमाधोपुर**	210000	4200
6	**उदयपुर**	900000	18000
7	**बारां**	850000	17000
8	**सिरोही**	700000	14000
9	**भरतपुर**	350000	7000
10	**भीलवाडा**	900000	18000
	योग	5140000	102800

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

उक्त व्यय के आधार सम्पूर्ण बिड का अनुमानित व्यय राशि रू. 51.40 लाख का आंकलन किया गया है। बिडर द्वारा जिस मदिरालय एवं कार्य के लिये बोली प्रस्तुत की जा रही है उसके लिये बोली प्रतिभूति राशि के पेटे अनुमानित व्यय का 2 प्रतिशत राशि जमा कराना आवश्यक होगा तथा उस पर आवेदित मदिरालय/कार्य का विवरण अंकित करना आवश्यक होगा। उक्त बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड स्वीकार योग्य नहीं होगी।

7. पानी का टैंकर खड़ा रहने पर किसी भी प्रकार का हाल्टेज नहीं दिया जावेगा।
8. पानी सप्लाई कार्य के अनुबन्ध के कियान्वयन में कोई कर यदि लगता है तो उसके भुगतान का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
9. प्रत्येक पानी के टेंकर को गोदाम पर निर्धारित मात्रा में पानी सहित पहुॅचाने की जिम्मेदारी होगी तथा कम मात्रा में पानी टेंकर में पाये जाने पर नियमानुसार कटौती आपके बिलों से की जावेगी।
10. मीठा पानी संबंधित मदिरालय पर सप्लाई करना होगा जो कि मदिरा निर्माण कार्य के लिये उपयुक्त हो। मदिरा निर्माण में अनुपयुक्त पानी की सप्लाई किये जाने की स्थिति में होने वाले नुकसान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
11. दरें प्रति हजार लीटर के हिसाब से देनी है। अर्थात मूल्य दर की ईकाई प्रति हजार लीटर होगी। परिवहन व्ययों को शामिल करते हुये एफओआर दरें देनी हैं।
12. अनुबन्ध की अवधि में कम्पनी द्वारा कार्यादेश कभी भी निरस्त किया जा सकेगा एवं अनुबन्ध आवश्यकतानुसार घटाया/बढाया भी जा सकता है। नियमित सेवायें नहीं देने, अवैध एवं विधि विरूद्ध गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर 3 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है एवं शेष अवधि में कार्य अन्य स्त्रोतों से आपकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर करवाया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी तथा इसमें होने वाली हानि की वसूली सफल निविदादाता से की जायेगी।
13. इस अनुबन्ध के तहत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में सम्बन्धित क्लॉज के तहत कानूनी कार्यवाही के लिये वाद क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होगा।
14. ई–तकनीकी निविदा का अंग होगा। इसमें सफल निवदादाता का ही वित्तीय ई–निविदा खोली जावेगी।
15. सफल निविदादाता द्वारा मीठा पानी आपूर्ति हेतु मना कर दिये जाने पर जमा कार्य सम्पादन धरोहर राशि सहित अन्य जमा राशि जब्त की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
16. सफल निविदादाता को कार्यादेश लेते समय नियमानुसार रू. 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करना अनिवार्य होगा।
17. अनुबंध अवधि में अनुमोदित दरों एवं विद्यमान शर्तों पर तीन माह तक समयावधि वृद्धि की जा सकेगी।
18. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2014 के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए,बी,सी,डी की शर्तो की पूर्ण पालना कर टेण्डर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
19. अन्य नियम व शर्ते जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, आरटीपीपी एक्ट, 2013 व आरटीपीपी नियम, 2013 अनुसार होंगे।
20. सामान्य शर्त एवं विशेष शर्त में यदि किसी विषय या बिंदु पर विरोधाभास हो तो विशेष शर्त ही मान्य होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

बिड एवं संविदा के लिये सामान्य शर्ते

नोट–यदि सामान्य शर्तों व विशेष शर्तों में विरोधाभास हो तो विशेष शर्त का आशय ही मान्य होगा। यदि सामान्य व विशेष शर्त को आरटीपीपी एक्ट व नियम से विरोधाभास हो तो एक्ट व नियम का अर्थ ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. बिड को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप बिड ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना संस्थान को लिखित में बिडर द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2)संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को बिडर द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए बिडर की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।
3. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
4. विधिमान्यता :– बिड, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
5. बिडर अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
6. निरीक्षण :– (क) संस्थान या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एंव कर्म कौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।

   (ख) बिडर अपने कार्यालय, गोदाम एवं वक्रशाप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय संस्थान की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बिडर को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद संस्थान किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
8. बिडर या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
9. बोली प्रतिभूति राशि :–

   (क) बिड के साथ एनेक्सर ''एफ'' अनुसार बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बिड पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आरएसजीएसएम के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

   (1) खुली प्रतियोगी बोली, द्वि–प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूटप्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा–विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागोंऔर सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों,रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थानसरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

(3) बोली प्रतिभूति डीमाण्ड ड्राफ्ट या बोली प्रतिभूति की नकद (नेफ्ट / आरटीजीएस) आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।

(4) उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखीहुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति मेंसमायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

(5) बोली प्रतिभूति ने, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

(6) बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोलीप्रतिभूति का प्ररूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

(7) यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिए उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसीअनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।

(8) बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारन्टी की संबंधित जारी करने वालेबैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करनेवाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने सेउपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वालादिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।

(9) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली कीअंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनेके शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

(10) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृतकर दी जायेगी, अर्थात् :–

क जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है;

ख जब बोली लगाने वाला प्रदाय / संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;

ग जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय / संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है;

घ जब बोली लगाने वाला प्रदाय / संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है;

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

ङ यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(11) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्यसम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती हैयदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

(12) उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति कोतत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :–

क बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर;

ख सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर;

ग उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर; या

घ बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

10. कार्य सम्पादन प्रतिभूति.–

(1) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले मेंप्रदाय आदेश की रकम की **पांच प्रतिशत** या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कीजाये, होगी और संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशतहोगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाणकी रकम की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामलेऔद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समझ लम्बित है, के मामले में यह प्रदायआदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत कीजायेगीः–

क ''ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा'';

ख किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

ग राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत केप्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदिवह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पणमूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप सेउपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

घ किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंकसे सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिएनियम 42 में वर्णित के समान होंगी।

ङ किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगानेवाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप सेउन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यहसुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधितबोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग परसंदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरणकी दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर लीजायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

च संकर्मों के उपापन में मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार परहस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के दसप्रतिशत की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत करसकेगा।,

(4) उप–नियम (3) के खण्ड (ख) से (ङ) के प्ररूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादनप्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलितकरते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख सेपरे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

11. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :– बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

(1) जब बिडर बिड खोलने के बाद किन्तु, बिड को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब बिडर विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब बिडर प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

12. (1) करार एंव प्रतिभूति निक्षेप :– (1) सफल बिडर को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। अनुबंध के साथ ही 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बिड के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी ।

(2) बिड के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी ।

(3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–

(क) बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक ।

(5) (1) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बिडर सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा है।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बिडर द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

13. भुगतान :–

(1) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बिडर द्वारा संस्थान को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बिडर द्वारा वहन किए जाएंगे।

(2) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(3)उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

14. वसूलियां :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा नुकसान के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

15. यदि बिडर ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि संस्थान द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

16. संस्थान किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बिडर ने बिड दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को समान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपनी पास आरक्षित रखेगा।

17. बिडर करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति ।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एंव कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

18. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बिडर) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the bidding document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.

ii. If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

iii. In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement

to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

<u>तकनीकी बिड चैक लिस्ट</u>

(तकनीकी बिड के साथ स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज)

1	बिडर फर्म का नाम	
2	हैसियत जिसके तहत बिड प्रस्तुत की जा रही है– 1 व्यक्ति 2 फर्म (साझेदारी डीड की प्रति संलग्न) 3 कंपनी (मेमोरेंडम ऑफ एसोशियेशन की प्रति संलग्न)	
3	पता मय पिनकोड, दूरभाष एवं ई–मेल	
4	पैन नंबर (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
5	बोली प्रतिभूति राशि (अनुमानित व्यय का 2 प्रतिशत)	
6	बिड प्रपत्र के एनेक्सर बी रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (प्रमाण में दस्तावेज संलग्न करें)	
7	माल एवं सेवा कर (GSTN) पंजीयन संख्या यदि हो तो (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
8	मदिरालयों के नाम /भराई का प्रकार जिनके लिये बिड प्रस्तुत की गई है	**1.** **2.** **3.** **4.** **5.** **6.** **7.** **8.** **9.** **10.**
9	हस्ताक्षरित एंव मोहरबंद बिड प्रपत्र अपलोड किया गया?	

<u>नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें एवं दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।</u>

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

AGREEMENT (See Rule 68)

An agreement made this ………………………day of ……………..between ……………………………………….. (hereinafter called **"the approved supplier"**, which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and **the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.** (herein after called "**the RSGSM**" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

2. Whereas the approved supplier has agreed with the RSGSM to supply to the_________ of the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd. at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column__________ of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs._____ in _________.

   (1) Cash/Bank Draft/ Bank Guarantee /Banker Cheque No.____________________ dated_________.

   (2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.

   (3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

4. Now these Presents witness:

   (1) In consideration of the payment to be made by the Government through_____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in_________ and _________ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

   (2) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No._____ dated_______ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

   (3) Letters Nos._______ received from tenderer and letters nos.______ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

   (4)

      (a) The RSGSM do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the

RSGSM will through_______ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

(b) The mode of Payment will be as specified below:-

1.____________________

2.____________________

3.____________________

5. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

a) From ………………… to …………………..

6. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the......... day of ....201.......

Signature of the approved supplier.

Date:

Witness No. 1

Witness No.2

Signature for and on behalf of Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.

Dy. General Manager (Purchase)

Date:

Witness No. 1

Witness No.2

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर